न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीण्डर जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती मोनिका जाखड़ R.A.S.

GCMS प्रकरण संख्या 2022/183

प्रकरण संख्या 119/22

अनवान

1. दर्शनसिंह पुत्र श्री भोपालसिंह राजपूत निवासी मालों का ओडा, तहसील लसाडिया जिला उदयपुर राज0।
2. श्री नारायणसिंह पुत्र श्री भोपालसिंह राजपूत निवासी मालों का ओडा, तहसील लसाडिया जिला उदयपुर राज0।

.....प्रार्थीगण

बनाम्

1. श्री नारायण पुत्र श्री पुंजा रावत निवासी मंगरी फला तहसील कानोड जिला उदयपुर राज0।
2. श्री मिठूसिंह पुत्र श्री तेजसिंह राजपूत निवासी झालों का खेडा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज0।
3. श्री भोपालसिंह पुत्र श्री गुलाबंसिह राजपूत निवासी मालों का ओडा, तहसील लसाडिया जिला उदयपुर राज0।
4. श्री प्रवीणसिंह पुत्र श्री भोपालसिंह राजपूत निवासी मालों का ओडा, तहसील लसाडिया जिला उदयपुर राज0।
5. राजस्थान राज्य जरीये भूमिधारी तहसीलदार जी कानोड तहसील कानोड जिला उदयपुर राज0।

.....विपक्षीगण

अधिवक्ता उपस्थित 1. श्री मुकेश कुमार डांगी, अधिवक्ता प्रार्थीगण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम

—: : निर्णय : :—

दिनांक 11.02.2023

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा झालों का खेडा पटवार मण्डल लूणदा तहसील कानोड जिला उदयपुर में जमाबंदी संवत् 2078–2081 खाता नम्बर नया 04 की आराजी नम्बर 76, 78, 94/76 कुल किता 3 रकबा 5.7400 हैक्टेयर भूमि वर्तमान राजस्व अभिलेख में प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 3 व 4 के नाम पर हिस्से बराबर से 1/4 हिस्से अनुसार खातेदारी हक से दर्ज है। यह उक्त अंकित कुषि भूमि में प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 3 व 4 ही राजस्व अभिलेखमें अंकित हिस्से अनुसार ही खातेदार काश्तकार होकर अधिपत्यधारी है, जिसमें किसी अन्य का किसी प्रकार से कोई हक, हिस्सा, अधिकार, आधिपत्य, स्वपत्य आदि नहीं है।
2. यह कि उक्त भूमि में प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 3 व 4 के खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य कि आराजीयात का सीमांकन एवं पक्की पत्थरगढी आज दिन तक नहीं हुई है, तथा मौके पर पुराने पत्थर व बाड नष्ट हो चुकी है तथा जगह खुली है इसलिए फसलों कि सुरक्षा के लिए फसलों कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Monika Jakhar
Date: 2023.07.05 12:30:05 IST
Reason: SelfAttested

सुरक्षा के लिए एवं कुषि भूमि के अच्छी तरह से विकास के लिए प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 3 व 4 अपनी कुषि भूमि के चारों तरफ तारबंदी करवाना चाहते है। प्रकरण में विपक्षी संख्या 1 व 2 उक्त आराजीयात के पडौसी है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात की पक्की पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया।

3. पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में विपक्षी संख्या 1 व 2 के अनुपस्थित रहने पर विपक्षी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये जा चुके है। विपक्षी संख्या 3 व 4 की तरफ से अधिवक्ता द्वारा उपस्थिति देकर पत्थरगढी किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं जताई। विपक्षी संख्या 5 द्वारा जवाब नहीं देना चाहा।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी को सुना। अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थनाग्रस्त भूमि वर्तमान में प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 3 व 4 की खातेदारी भूमि हैं। विपक्षी संख्या 1 व 2 प्रार्थनाग्रस्त भूमि के पड़ोसी है। प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 3 व 4 के नाम दर्ज है। विपक्षी संख्या 3 व 4 द्वारा पत्थरगढी किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं जताई। प्रार्थी प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात की भूमि को विकास करने व फसलों की सुरक्षा के लिए तारबंदी करवाना चाहता है जिससे भविष्य में सीमा संबंधित कोई विवाद पैदा नहीं हो। प्रार्थी अपनी प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात में विकास करना चाहता है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की भूमि के बीच पक्का पुख्ता सीमांकन नहीं होने से प्रार्थी अपनी भूमि में विकास करने में असुविधा हो रही है। अतः सीमा को लेकर भविष्य में कोई विवाद न हो इसलिए पत्थरगढी किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा झालों का खेडा पटवार मण्डल लूणदा तहसील कानोड जिला उदयपुर में जमाबंदी संवत् 2078–2081 खाता नम्बर नया 04 की आराजी नम्बर 76, 78, 94/76 कुल किता 3 रकबा 5.7400 हैक्टेयर भूमि के चारो दिशाओ की सीमा की पत्थरगढी कर सीमाकंन कराया जावें। उक्त पत्थरगढ़ी कब्जा प्राप्त करने के लिए नहीं है कब्जे प्राप्त करने के लिए अलग से कार्यवाही करें। अगर भू–प्रबंधन के बाद जमाबंदी/खसरा नम्बर या मौके की तरमीम में कोई परिवर्तन हो तो तहसीलदार खाता शुद्धि के बाद पत्थरगढी की कार्यवाही करें। पत्थरगढी हेतु तहसीलदार कानोड को 500/– पांच सौ रूपया कमिश्नर शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि सभी पंक्षकारान की उपस्थिति में पत्थरगढी कराई जाकर पालना प्रस्तुत करे। पालना हेतु तहसीलदार कानोड को लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। फीस कमिश्नर राशि का भुगतान प्रार्थी अदा करेगें।

निर्णय सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Monika Jakhar
Date: 2023.07.05 12:30:05 IST
Reason: SelfAttested